

प्रेषक,

एमएचएचएच,  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,  
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या: एस0पी0एम0यू0 / एम0आई0एस0 / एम0सी0टी0एस0 / 51-पी / 2015-16

दिनांक: 26-2-2016

**विषय:-मदर चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम (एम0सी0टी0एस0) ऑनलाइन पोर्टल पर आंकड़ों को शत-प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण एवं समय से अपलोड न किये जाने की दशा में सी0एम0ओ0/ब्लॉक एम0ओ0आई0सी0 का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु ।**

महोदय/महोदया,

भारत सरकार द्वारा संचालित मदर एण्ड चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम (एम0सी0टी0एस0) पोर्टल पर राज्य में गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है, तत्पश्चात् लाभार्थियों को प्रदान की गयी स्वास्थ्य सेवाओं का अपडेशन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाता है जिसके अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं की ए0एन0सी0 सेवाओं की रिपोर्टिंग, बच्चों के टीकाकरण सेवाओं की रिपोर्टिंग, प्रसव में जटिलता अथवा रक्तअल्पता वाली गर्भवती माताओं की ट्रेकिंग एवं कम वजन के बच्चों की ट्रेकिंग हेतु पोर्टल पर ब्लॉक स्तर से डाटा की ऑनलाइन फीडिंग की जा रही है। जिसका उद्देश्य एम0सी0टी0एस0 पोर्टल की सहायता से सभी लाभार्थियों को निर्धारित समय पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर राज्य की मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। शासनादेश सं0-601/पाँच-9-2015-9(127)/2012टी0सी0 दिनांक 27 अप्रैल, 2015 के सन्दर्भ में एम0सी0टी0एस0 को प्रभावी बनाने के लिए पोर्टल पर शत-प्रतिशत एवं गुणवत्तापूर्ण डाटा अपलोड किया जाना आदेशित है।

Conditionality for MCTS as per ROP 2015-16			
Conditionality	Description	Source	Incentive/Penalty
Full Immunization coverage	During the current FY, as on December 31st- Infants fully immunized vs. estimated beneficiaries	MCTS	Maximum penalty and incentive of 5%. Weightage=5/(-)5 <ul style="list-style-type: none"><li>• If coverage less than 40%-Penalty of 5%</li><li>• If coverage between 40-50%- No penalty</li><li>• For coverage above 50% up to 100% - Incentive up to maximum of 5%, calculated as <u>Coverage above 50%</u> i.e. if coverage is 65%, then incentive of 1.5%; and if coverage is 87%, then incentive is 3.7%.</li></ul>

एम0सी0टी0एस0 कार्यक्रम के उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ब्लॉक वैलीडेशन कमेटी एवं जिला वैलीडेशन कमेटी के सदस्य आंकड़ों के शत-प्रतिशत अपडेशन हेतु पूर्णतः जिम्मेदार होंगे, साथ ही अपलोड की जाने वाली सूचनाओं की गुणवत्ता के लिए भी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

यदि एम0सी0टी0एस0 कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक न होने के कारण भारत सरकार द्वारा राज्य बजट में कटौती होती है एवं इसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश सरकार के Outlay पर पड़ता है तो कटी हुई धनराशि की वसूली हेतु मुख्य चिकित्साधिकारियां एवं ब्लॉक एम0ओ0आई0सी0 का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

एम0सी0टी0एस0 कार्यक्रम के उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित विन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना तत्काल सुनिश्चित करें:-

- एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर लाभार्थियों (गर्भवती माताओं एवं बच्चों) का पंजीकरण वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए।
- लाभार्थियों के पंजीकरण के उपरान्त, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की गयी स्वास्थ्य सेवाओं को एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर अपडेट किया जाए। जिसके अन्तर्गत निम्न सेवाओं की रिपोर्टिंग अनिवार्य है:-
  - ✓ गर्भवती माताओं की चारों ए0एन0सी0 सेवाओं एवं डिलेवरी की रिपोर्टिंग,
  - ✓ गर्भवती माताओं में एनीमिया 7 ग्राम/डी0एल0 से कम, एनीमिया 11 ग्राम/डी0एल0 से कम, कॉम्प्लीकेशन एवं मदर डेथ की रिपोर्टिंग,
  - ✓ बच्चों के टीकाकरण एवं कम वजन के बच्चों की पोर्टल पर रिपोर्टिंग के कार्य को शत-प्रतिशत किया जाए।
- लाभार्थियों (गर्भवती माताओं एवं बच्चों) से सम्बन्धित सभी जानकारी नव-विकसित आर0सी0एच0 रजिस्टर में ससमय भरी जाए एवं भरी गयी जानकारी को एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर अपडेट किया जाए।
- एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थियों (गर्भवती माताओं एवं बच्चों) का वर्कप्लान नियमित रूप से जनरेट एवं प्रिन्ट कर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं को भरने हेतु वितरित करें एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा भरे गए आंकड़ों को एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर अपडेट करना भी सुनिश्चित करें।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा लाभार्थियों को प्रदान की गयी स्वास्थ्य सेवाओं का अपडेशन मोबाइल द्वारा यू0एस0एस0डी0 सेवा का उपयोग कर किया जाए।

अतः कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए तत्काल प्रभाव से आंकड़ों को शत-प्रतिशत एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(अरविन्द कुमार)  
प्रमुख सचिव

पत्रसंख्या:एस0पी0एम0यू0 / एम0आई0एस0 / एम0सी0टी0एस0 / 51-इ / 2015-16

तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलप्रमुख, उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति जनपद।
7. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश मण्डल।
9. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश जनपद।
10. अधिशासी निदेशक, तकनीकी सहयोग इकाई, उत्तर प्रदेश।

(अरविन्द कुमार)  
प्रमुख सचिव